

15/07/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिकार, उच्चपदा 35।

मूल अपील में निर्णय होना

पत्रावली खासि की जा चुकी है 35।

भवमानता का प्रार्थना-पत्र सादर ही

होना खासि किया जाने योग्य

है। भवमानता प्रार्थना-पत्र सादर ही

खासि किया जाता है। पत्रावली

केस में 23/04 नम्बर से कर होना

दोषिता 4 फरवरी को आदिके से

इजलास सुनाया गया।



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर